

रूपनाम

9-12-2) पञ्जावली पेश हुयी वादी एवं वकील वादी उपर  
वादी ने दावा विडा करने बाबत जायना-प्र  
पेश किया। वादी एवं वकील वादी उपस्थित।  
वादी ने पहचान स्वयं आधार कार्ड नं- 3437  
03197774 की स्वहस्ताक्षरित प्रति पेश की।


अपलन



वादी की पहचान वकील वादी द्वारा की गयी।  
वादी द्वारा प्रस्तुत पार्थना-पत्र अनुसार उक्त  
उपबन्ध में वादी आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता  
है, क्योंकि वादी व प्रतिवादी में आपसी सहमति  
हो गयी, इसलिए वादी दावा विद्रा करने की अनुमति  
चाहता है।

इसने वादी द्वारा प्रस्तुत पार्थना-पत्र का अव-  
लोकन किया एवं वादी, वकील वादी को सुना। तद्-  
नुसार वादी को दावा विद्रा करने की अनुमति  
दी जाती है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से  
कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अन्वयेर)